RAJ BHAVAN, LUCKNOW

# NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR JANANAYAK CHANDRASHEKHAR UNIVERSITY, BALLIA (U.P.)

Advt. No. : E-7282 /GS

Dated : November 10, 2022

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Jananayak Chandrashekhar University, Ballia(U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 68 (sixty eight) years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 (sixty five) years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **11.12.2022**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

**Principal Secretary to the Governor,**
**Uttar Pradesh.**

राज भवन, लखनऊ

## जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्याःई–7282/जी0एस0

दिनांक : नवम्बर 10, 2022

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपनो आवेदन दिनांक 11.12.2022 तक केवल **ऑनलाइन (Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

राज भवन, लखनऊ

**जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना**

विज्ञापन संख्याःई–7282 / जी0एस0

दिनांक : नवम्बर 10, 2022

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपनी आवेदन दिनांक 11.12.2022 तक केवल **ऑनलाइन (Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।